भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 17.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

कोविड-19 योद्धाओं को राहत

†17. श्री राहुल रमेश शेवालेः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या गृह मंत्री दिनांक 20.09.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का डॉक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टॉफ , बैंक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों जैसे कोविड-19 योद्धाओं पर इस महामारी के संत्रासकाल में कर्तव्य-निर्वहन के दौरान लगाए गए ट्रैफिक चालान के जुर्माने को हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कोविड-योद्धाओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जो मोटर चालक रेड लाइट/स्टॉप लाइन/ओवर स्पीड उल्लंघनों के लिए ऑटोमेटेड रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) सिस्टम और ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) सिस्टम कैमरों द्वारा पकड़े गए थे, उनके संबंध में 'वाहन' डाटा बेस में पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से मोटर वाहनों के पंजीकृत

मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। उपर्युक्त उल्लंघनों के संबंध में कोविड-19 योद्धाओं के आंकड़े दिल्ली पुलिस द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग): कोविड-19 नियंत्रण ड्यूटी पर लगाए गए स्वयं सेवकों/सरकारी अधिकारियों को कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा योजना के तहत कवर किया गया है।

*****